राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ....985 / 2009 ....जिला.........अलवर...

उनवान – मै. राकेश कुमार सतीशचन्द, खेडली, अलवर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–ए, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.01.2017	**एकलपीठ कैम्प जयपुर** **श्री खेमराज, अध्यक्ष** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, एवं विभागीय पैरोकार श्री रामकरण सिंह उपस्थित। प्रकरण संख्या 985 / 2009 वर्ष 1997–98 (सीएसटी) के कर निर्धारण से संबंधित है, जिसमें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 20.04.2009 को विवादित किया गया है। परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी की इस अपील को अपीलीय अधिकारी ने राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 84 के तहत् विवादित राशि की निर्धारित राशि जमा नहीं करवाये जाने के फलस्वरूप अपील पंजीकृत योग्य नहीं माना था, और अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर दी थी। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश को कर बोर्ड के समक्ष विवादित किया गया है। व्यवहारी फर्म द्वारा आज दिनांक तक कर बोर्ड के समक्ष उक्त राशि जमा करवाये जाने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील, ग्राह्यता के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती है। निर्णय सुनाया गया । अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	